न्यायालय अवर न्यायाधीश–प्रथम, कटिहार

स्वत्व वाद सं0 : 05 / 2025

सुलभ कुमार चौबे एवं अन्य बनाम सुनीता चक्रवर्ती एवं अन्य

दिनांक	आदेश
23/06/26	वादी की ओर से वकालतन हाजिरी के साथ आदेश–23, नियम–1 सीपीसी अंतर्गत आवेदन दाखिल किया गया है। वाद अभिलेख प्रस्तुत किया गया। वाद पुकारा गया। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता आज दिनांक 23 / 06 / 2026 को आदेश–23, नियम–1 सीपीसी अंतर्गत दाखिल आवेदन को संचालित करते हुए कथन करते हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद करार के विशिष्ट अनुपालन हेतु दाखिल किया गया था। वादी द्वारा वादपत्र में मांगे गये अनुतोष की प्राप्ति बगैर किसी डर, लालच, दबाव के हो गया है। शुभेच्छुओं, मित्रों एवं पंचों के माध्यम से मामला सुलह हो गया है तथा प्रतिवादी द्वारा वादीगणों के पक्ष में निबंधित विक्रय विलेख सं0–2789, दिनांक 07 / 02 / 2026 को निष्पादित कर दिया गया है, जिस कारण से वादी अब इस वाद को आगे संचालित करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, जिस कारण से वादी इस वाद के आगे संचालित नहीं करना चाहता है। अतः प्रार्थना है कि वादी को इस वाद को वापस लेने की अनुमति प्रदान किया जाय। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अनुसूची–ए में वर्णित मौजा–दिल्ली दिवानगंज अवस्थित आरएस खाता नं. –79, आरएस प्लॉट नं.–992 रकबा 97 डिसमिल भूमि के सम्बंध में करार के विशिष्ट अनुपालन हेतु लाया गया है। वादी का कथन है कि उसे अनुतोष की प्राप्ति हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण द्वारा उसके पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया जा चुका है। वादी ने अपने कथनों के समर्थन में विक्रय विलेख सं.–2789, दिनांक 07 / 02 / 2026 की छायाप्रति भी दाखिल किया गया है। जिसके अवलोकन से विदित होता है कि क्रमशः प्रतिवादी सं.–02 एवं 03 जर्नादन मंडल एवं प्रहलाद मंडल द्वारा वादी सुलभ कुमार चौबे, भीम कुमार यादव के पक्ष में वादपत्र की अनुसूची–ए में वर्णित उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि का निबंधित विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया है। वादी का कथन है कि वह इस वाद को आगे संचालित नहीं करना चाहता है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वाद का संचालन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23 / 06 / 2026 स्वीकार कर वादपत्र वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख को समयसीमा के अंदर अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित { मनीष कुमार } अवर न्यायाधीश–प्रथम, कटिहार।